भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3086

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के लिए राहत शिविर

3086. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य में संकट के बाद एक वर्ष से अधिक समय से मणिपुर में राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं और बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): मणिपुर सहित देश में महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता, सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को तीन घटकों अर्थात् (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3)कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के संरक्षण, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में मिला दिया गया है। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** (पोषण 2.0**)**: इस कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को 3 प्राथमिक उप -घटकों (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) **मिशन शक्ति**: मिशन शक्ति में दो उप -घटक अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए **'संबल'** और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए '**सामर्थ्य'** शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) को संबल उप-घटक का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (शक्ति सदन के रूप में पुनर्नामित) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास के रूप में पुनर्नामित) और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय हब (एनएचईडब्ल्यू) राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (पालना के रूप में पुनर्नामित) की मौजूदा स्कीमों को **"सामर्थ्य"** में शामिल किया गया है।
भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए 'निर्भया कोष' नामक एक समर्पित गैर-समाप्ति योग्य निधि भी स्थापित की है। निर्भया कोष के तहत मणिपुर सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 42 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप में सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान, निर्भया आश्रय गृह, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम इत्यादि शामिल हैं।

(iii) **मिशन वात्सल्य** : (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता करने और उनका पोषण करने (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ–आधारित समाधान विकसित करने (iii) नवोन्वेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं हेतु अवसर प्रदान करने (iv) यदि आवश्यक हो तो अंतराल वित्तपोषण द्वारा अभिसरण कार्रवाई पुष्ट करने आदि उद्देश्यों के साथ मिशन मोड में देखभाल और जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को मिशन वात्सल्य का नया नाम दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय की योजनाओं के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:-

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:

• राहत शिविरों में रह रहे 6164 बच्चे (6 माह से 6 वर्ष), 2638 किशोरियाँ, 232 गर्भवती महिलाएँ और 753 स्तनपान कराने वाली माताओं को 271 निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा गया है।

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों को प्री-स्कूल शिक्षा, विकास निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन, पूरक पोषण, आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ, रेफरल और टीकाकरण जैसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, 103 महिलाओं को पहली गर्भावस्था के लिए नामांकित किया गया है, जिनमें से 70 महिलाओं को 3000/- रुपये की पहली किस्त और 33 महिलाओं को 2000/- रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। इसके अलावा, 53 महिलाओं को दूसरे बच्चे (बालिका) के लिए नामांकित किया गया है, जिनमें से 38 महिलाओं को 6000/- रुपये प्राप्त हुए हैं।

• अस्थायी आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने के लिए 359 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और 268 आंगनवाड़ी सहायिकाएं वर्तमान में राहत शिविरों में कार्यरत हैं।

मिशन शक्ति:

• मणिपुर में वन स्टॉप सेंटर मणिपुर के राहत शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श प्रदान किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और प्रेरक कार्यक्रम पर विभिन्न कार्यशाला/कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ चिकित्सा शिविर भी आयोजित कर रहे हैं।

• मणिपुर में शक्ति सदन मणिपुर सरकार की देखरेख/निर्देश के तहत राहत शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित सभी महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है।

मिशन वात्सल्य:

• विस्थापित बच्चों की काउंसलिंग

• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस)-बंगलूरू द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाइयों के पदाधिकारियों के लिए "बाल संरक्षण एवं मानसिक स्वास्थ्य" पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया

• राहत सामग्री एवं वित्तीय सहायता के साथ सहायता

• पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण के लिए संस्थागत देखभाल: संबंधित बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के आदेश पर राहत शिविरों से बच्चों को बाल गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया तथा कुछ को उनके माता-पिता को वापस सौंप दिया गया।

• राज्य के बाहर बच्चों की तस्करी की रोकथाम

• राहत शिविरों की निगरानी उपायुक्तों, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण अधिकारियों द्वारा की गई।

• जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल कल्याण समितियों ने मानव दुर्व्यापार, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार, मणिपुर में राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं और बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

<u>महिलाएं और बच्चे:</u>

i) गर्भवती महिलाओं को समर्पित चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों के माध्यम से निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। किसी भी गर्भवती

महिला को स्वास्थ्य केंद्र या स्त्री रोग विशेषज्ञ परामर्श या टीकाकरण की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविर से स्वास्थ्य केंद्र तक लाने और वापस ले जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

ii) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

iii) गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए वन स्टॉप सेंटर पर व्यवस्था की जाती है।

iv) महिलाओं को साप्ताहिक आधार पर अंडे, दूध और अन्य वस्तुओं सहित पूरक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं।

v) सैनिटरी पैड/नैपकिन, महिलाओं के लिए डायपर, साबुन, डिटर्जेंट, मच्छर भगाने वाली कॉइल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जीभ साफ करने वाला इत्यादि भी साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

vi) इच्छुक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उनकी कल्याण और देखभाल के लिए अलग से विशेष गृह खोले गए हैं।

vii) मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और जादोनांग मेमोरियल कॉलेज जैसे लाइन विभागों के परामर्श से कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।

viii) (0-6) वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उनके संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के अधिकार क्षेत्र में निकटतम स्वास्थ्य केंद्र/ पहुंच सत्र में टीकाकरण दिया जाता है।

ix) छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पेन, पेंसिल, खेल और मनोरंजन सामग्री, स्कूल बैग, जूते खरीदने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, कक्षा V I से X में पढ़ने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित छात्रों को विशेष कोचिंग कक्षाएं प्रदान की गई हैं।

x) जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) ने राहत शिविरों में अनाथ और अर्ध-अनाथ बच्चों की पहचान की है और उन्हें योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रायोजन और पालन-पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

xi) डीसीपीयू द्वारा राहत शिविरों में बच्चों की बारीकी से निगरानी की जाती है।

xii) बच्चों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सह- परामर्श सत्र आयोजित किए गए हैं।

xiii) सभी बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।

xiv) विशेष देखभाल के लिए राहत शिविरों में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों /सहायिकाओं को तैनात किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, मणिपुर सरकार के अनुरोध पर, राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए 400.42 करोड़ रुपये की विशेष सहायता केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

*****